

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सिरीज
Question Booklet Series
C

L.L.B (Fourth Semester) Examination, January-2022

LL.B403

CIVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION ACT

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

1. As per order1, a necessary party is one is whose :

- (A) Absence, no order can be made effectively
- (B) Absence an order can be made but whose presence is necessary for the complete decision of the case
- (C) Both (A) and (B)
- (D) Neither (A) nor (B)

2. A decreeholder is a person :

- (A) Plaintiff
- (B) Defendant
- (C) In favour of whom a decree has been passed
- (D) Against whom court has passed a judgment

3. A judgment passed by the Court can be reviewed on the ground of :

- (A) Discovery of new and important evidence, not within the knowledge of party concerned.
- (B) Mistake of error of fact or law on the face
- (C) Both (A) and (B)
- (D) Neither (A) nor (B)

1. आदेश 1 के अनुसार, एक आवश्यक पक्ष वह है जिसका :

- (A) अनुपस्थिति, कोई आदेश प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है
- (B) अनुपस्थिति एक आदेश किया जा सकता है लेकिन जिसकी उपस्थिति मामले के पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है
- (C) (A)और (B)दोनों
- (D) न तो (A)और न ही (B)

2. एक डिक्रीधारक एक व्यक्ति है :

- (A) वादी
- (B) प्रतिवादी
- (C) जब एक डिक्री पारित किया गया है के पक्ष में
- (D) जिसके खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है

3. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है :

- (A) नए और महत्वपूर्ण सबूत की खोज, संबंधित पक्ष के ज्ञान के भीतर नहीं।
- (B) तथ्य या कानून की त्रुटि की गलती पर
- (C) (A)और(B)दोनों
- (A) न तो (A) और न ही (B)

- | | |
|--|---|
| <p>4. Every suit shall be instituted in the Court of :</p> <p>(A) The District Court</p> <p>(B) The Court of Higher Grade</p> <p>(C) The Court of Lower Grade</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>4. प्रत्येक मुकदमा निम्नलिखित के न्यायालय में स्थापित किया जाएगा :</p> <p>(A) जिला न्यायालय</p> <p>(B) उच्च श्रेणी का न्यायालय</p> <p>(C) निचली श्रेणी का न्यायालय</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>5. Litigating Parties ____ upon Court jurisdiction of the court by mutual consent.</p> <p>(A) Can not confer or cannot take away</p> <p>(B) Can confer or can take away</p> <p>(C) Can not confer but can take away</p> <p>(D) Can confer but can not take away</p> | <p>5. आपसी सहमति से, वाद के पक्षकार निम्न में से प्रदान कर सकते हैं अथवा क्षेत्राधिकार के बावत :</p> <p>(A) प्रदान नहीं कर सकता या दूर नहीं ले सकता</p> <p>(B) प्रदान कर सकते हैं या ले सकते हैं।</p> <p>(C) प्रदान नहीं कर सकता लेकिन ले सकता</p> <p>(D) प्रदान कर सकता लेकिन छीन नहीं सकता।</p> |
| <p>6. Under the limitation Act, is computing the period of limitation for any suit, the day from which such period is to be reckoned :</p> <p>(A) Shall be excluded</p> <p>(B) Shall be included</p> <p>(C) May not be excluded</p> <p>(D) May be included</p> | <p>6. परिसीमा अधिनियम के अधीन किसी वाद के लिए परिसीमा अवधि की गणना करने में, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है।</p> <p>(A) बाहर रखा जाएगा</p> <p>(B) शामिल किया जाएगा</p> <p>(C) बहिष्कृत नहीं किया जा सकता</p> <p>(D) शामिल किया जा सकता</p> |
| <p>7. Section 17 takes within its ambit :</p> <p>(A) Concealments</p> <p>(B) Frauds</p> <p>(C) Mistake</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>7. धारा 17 अपने दायरे में लेती है।</p> <p>(A) छुपाएँ</p> <p>(B) धोखाधड़ी</p> <p>(C) गलतियाँ</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>8. Acknowledgement after the period of limitation :</p> <p>(A) Is of no effect</p> <p>(B) Give rise to an independent and enforceable contract</p> <p>(C) Neither (A) nor (B)</p> <p>(D) Both (A) and (B)</p> | <p>8. सीमा अवधि के बाद पावती :</p> <p>(A) कोई प्रभाव नहीं</p> <p>(B) एक स्वतंत्र एवं लागू करने योग्य अनुबन्ध को जन्म देता है</p> <p>(C) नहीं (A)नहीं (B)</p> <p>(D) दोनों (A)एवं (B)</p> |
| <p>9. Effect of death on or before the accrual of the right to sue :</p> <p>(A) Ceases the right to sue</p> <p>(B) Extend the right to sue</p> <p>(C) Enables court to dismiss the suit</p> <p>(D) None of these</p> | <p>9. मुकदमा करने के अधिकार के उपार्जन पर या उससे पहले मृत्यु का प्रभाव :</p> <p>(A) मुकदमा करने का अधिकार समाप्त करता है।</p> <p>(B) मुकदमा करने के अधिकार का विस्तार करता है</p> <p>(C) अदालत को मुकदमा समाप्त करने हेतु सक्षम बनाता है।</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>10. The fraud contemplated by section 17 of the limitation is that of</p> <p>(A) The Plaintiff</p> <p>(B) The defendant</p> <p>(C) A Third Person</p> <p>(D) Both (A) & (C)</p> | <p>10. परिसीमा अधिनियम की धारा 17 द्वारा परिकल्पित धोखाधड़ी है, उसकी :</p> <p>(A) वादी</p> <p>(B) प्रतिवादी</p> <p>(C) तृतीय व्यक्ति</p> <p>(D) दोनों (A)एवं (C)</p> |
| <p>11. Under the limitation Act, the court has no power to extend the limitation on the ground of :</p> <p>(A) Equitable considerations</p> <p>(B) Hardship</p> <p>(C) Necessary Implication</p> <p>(D) Either (A) or (B) or (C)</p> | <p>11. परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायालय कोई अवधि विस्तारित करने का अधिकार निम्न आधार पर नहीं है।</p> <p>(A) साम्यिक विचार</p> <p>(B) कठिनाई</p> <p>(C) निर्णायक निहितार्थ</p> <p>(D) या तो(A)या(B)या (C)</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>12. For the Purpose of section 3, Limitation is checked :</p> <p>(A) When the plaint is actually presented in Proper court.</p> <p>(B) When the plaint is presented in any court</p> <p>(C) When the plaint is presented by the defendant</p> <p>(D) All the above</p> | <p>12. धारा 3 परिसीमा अधिनियम के उद्देश्य से, परिसीमा की जाँच होती है।</p> <p>(A) जब वादपत्र वास्तविक रूप में सही न्यायालय में प्रस्तुत होती है।</p> <p>(B) जब वादपत्र किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।</p> <p>(C) जब वादपत्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत हो</p> <p>(D) उपरोक्त में सभी</p> |
| <p>13. Section 3 of limitation Act does not apply to :</p> <p>(A) Suits</p> <p>(B) Appeals</p> <p>(C) Application</p> <p>(D) Execution</p> | <p>13. परिसीमा अधिनियम की धारा 3 लागू नहीं होती :</p> <p>(A) वाद में</p> <p>(B) अपील में</p> <p>(C) प्रार्थना पत्र में</p> <p>(D) निष्पादन कार्यवाही में</p> |
| <p>14. Can a plea of limitation be :</p> <p>(A) Waived by a party</p> <p>(B) Ignored by the court</p> <p>(C) Waived by the consent of both parties</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>14. परिसीमा की दलील को :</p> <p>(A) पक्षकार द्वारा छोड़ा जा सकता है।</p> <p>(B) न्यायालय द्वारा न देखा जावे</p> <p>(C) पक्षकारों की सहमति से छोड़ा जावे</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>15. In computing the period of limitation for appeal, time requisite for obtaining a copy of the decree shall be excluded under:</p> <p>(A) Section 12 (1)</p> <p>(B) Section 12 (2)</p> <p>(C) Section 13 (3)</p> <p>(D) Section 14 (4)</p> | <p>15. अपील प्रस्तुत करने के लिए समय की गणना करते समय जो समय डिक्री की नकल प्राप्त करने पर लगा है, वह हटा दिया जाता है :</p> <p>(A) धारा 12 (1)</p> <p>(B) धारा 12 (2)</p> <p>(C) धारा 13 (3)</p> <p>(D) धारा 14 (4)</p> |
| <p>16. Section 6 of limitation Act does not apply to :</p> <p>(A) Insolvent</p> <p>(B) Minor</p> <p>(C) Insane</p> <p>(D) Idiot</p> | <p>16. धारा 6 परिसीमा अधिनियम किस पर लागू नहीं होती :</p> <p>(A) दिवालिया</p> <p>(B) अवयस्क</p> <p>(C) पागल</p> <p>(D) मूर्ख</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>17. Section 6 of limitation Act can be availed by :</p> <p>(A) Plaintiff</p> <p>(B) Defendants</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>17. परिसीमा अधिनियम की धारा 6 प्रयोग की जा सकती है।</p> <p>(A) वादी द्वारा</p> <p>(B) प्रतिवादी</p> <p>(C) (A) एवं (B) दोनों द्वारा</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>18. Delay in filing the Suit :</p> <p>(A) Can not be condoned</p> <p>(B) Can be condoned under section 3, limitation Act.</p> <p>(C) Can be condoned under order VI Rule 17 C. P. C.</p> <p>(D) Can be condoned under section 5 of limitation Act.</p> | <p>18. वाद दायर करने में विलम्ब :</p> <p>(A) मॉफ नहीं किया जा सकता</p> <p>(B) परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अन्दर मॉफ करना</p> <p>(C) सी० पी० सी० के आदेश VI नियम 17 में मॉफ करना</p> <p>(D) परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्दर मॉफ करना</p> |
| <p>19. Where a person entitled to institute a suit, at the time from which the period of limitation is to be reckoned, he can file suit after getting rid from :</p> <p>(A) Insaneness</p> <p>(B) Minority</p> <p>(C) Idiotness</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>19. जहाँ कोई व्यक्ति वाद संस्थित करने का हकदार है, उस समय से जब से परिसीमा अवधि की गणना की जानी है, से छुटकारा पाने के बाद :</p> <p>(A) पागलपन</p> <p>(B) अवयस्कता</p> <p>(C) मूर्खता</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>20. A suit filed appeal preferred and application made after period of limitation :</p> <p>(A) Would be accepted</p> <p>(B) Would be dismissed</p> <p>(C) Would be accepted with costs</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>20. एक वाद, अपील एवं प्रार्थना पत्र यदि समयावधि के बाद प्रस्तुत होता है, तो :</p> <p>(A) स्वीकार होगा</p> <p>(B) खण्डित होगा</p> <p>(C) हर्जे के साथ स्वीकार होगा</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |

21. Time Limitation for moving application under section 12 (2) C. P. C. is :
 (A) Three years
 (B) Four years
 (C) Six years
 (D) Ten years
22. The Time limitation for filing suit for breach of contract is :
 (A) One year from the time when contract broken
 (B) Two year from the time when contract broken
 (C) Three years from the time when contract broken
 (D) None of the above
23. As per section 12 of Limitation Act, in computing the period of Limitation prescribed for any suit/Appeal the day from which such period is reckoned .
 (A) Shall be excluded
 (B) Shall be included
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
24. As per section 9 of the Limitation Act where one time has begun to run :
 (A) No subsequent disability to sue can stop it.
 (B) It can be stopped by subsequent disability.
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of above
21. सी0 पी0 सी0 की धारा 12 (2) के तहत आवेदन करने की समय सीमा है :
 (A) तीन वर्ष
 (B) चार वर्ष
 (C) छः वर्ष
 (D) दस वर्ष
22. अनुबंध के उल्लंघन के लिए वाद दायर की समय सीमा है।
 (A) अनुबंध टूटने से एक वर्ष
 (B) अनुबंध टूटने से दो वर्ष
 (C) अनुबंध टूटने से तीन वर्ष
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
23. परिसीमन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किसी वाद/अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि की गणना में जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जाती है।
 (A) बाहर रखा जाएगा
 (B) शामिल किया जाएगा
 (C) (A) एवं (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
24. परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जहाँ एक बार वाद का समय प्रारम्भ हो जाता है।
 (A) कोई वाद की अक्षमता वाद प्रस्तुत करने से रोक नहीं सकती
 (B) वाद की अक्षमता से इसे रोका जा सकता है।
 (C) (A) एवं (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

25. A Person passes through legal disability can file Suit, make application :
- Within Limitation Period
 - Out of Limitation Period
 - Depends upon court's discretion
 - None of the above
26. Section 5 of Limitation Act provides for :
- Bar upon Institution of suit
 - Bar upon Institution of Appeal
 - Extention of Prescribed period
 - None of the above
27. Section 18 of the Limitation Act deals ____ ?
- Computation of time mentioned in Instrument.
 - Continuous running of time
 - Effect of acknowledgment in writing
 - None of the above
28. In Computing the Period of Limitation for a application to set-aside an award, the time requisite for obtaining a copy of the award shall be excluded under :
- Section 12 (1)
 - Section 12 (4)
 - Section 12 (2)
 - Section 12 (3)
25. विधिक अक्षमता से गुजरने वाला व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है :
- समयावधि के अन्दर
 - समयावधि के बाहर
 - न्यायालय के विवेकाधिकार पर आश्रित
 - उपरोक्त में कोई नहीं।
26. धारा 5 परिसीमन अधिनियम प्रावधानित करती है :
- वाद के नियोजन पर भार
 - अपील के नियोजन पर भार
 - विहित समयावधि को विस्तारित करने
 - उपरोक्त में कोई नहीं।
27. परिसीमन अधिनियम की धारा 18 सम्बंधित ...?
- इन्सट्रुमेन्ट में उल्लिखित समय की गणना से
 - लगातार समय के प्रचारित होने से
 - लिखित में स्वीकृति के प्रभाव
 - उपरोक्त में कोई नहीं।
28. समयावधि की गणना ऐसे वाद में जहाँ अवार्ड को मंसूख (निरस्त) करवाना है, अवार्ड की कापी (नकल) को प्राप्त करने में लगने वाले समय को छोड़ा जायेगा :
- अन्तर्गत धारा 12 (1)
 - अन्तर्गत धारा 12 (4)
 - अन्तर्गत धारा 12 (2)
 - अन्तर्गत धारा 12 (3)

29. Which section of Limitation Act 1963, deals with the Expiry of Prescribed period when court is closed
- (A) Section 2
(B) Section 7
(C) Section 4
(D) Section 20
30. When did the Limitation Act came into force:
- (A) 1st October 1964
(B) 1st January 1964
(C) 1st January 1963
(D) 1st November 1965
31. Under C. P. C. where a person who is necessary party to a suit has not been joined as a party, it is a case of :
- (A) Mis joinder
(B) Non - Joinder
(C) Both (A) and (B)
(D) None of above
32. Under section 16 of C. P. C. a suit relating to immerable property can be filed in a court within whose local jurisdiction :
- (A) The Property is reside
(B) Defendant usides or presonally works for gain
(C) Defendant reside or carries on business
(D) Either (A) or (B) or (C)
29. परिसीमन अधिनियम 1963 की कौन सी धारा न्यायालय के बंद होने पर निहित अवधि को समाप्ति के बारे में उपबन्ध करती है।
- (A) धारा 2
(B) धारा 7
(C) धारा 4
(D) धारा 20
30. परिसीमन अधिनियम कब प्रवृत्त में आया :
- (A) 1st अक्टूबर 1964
(B) 1st जनवरी 1964
(C) 1st जनवरी 1963
(D) 1st नवम्बर 1965
31. सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत किसी वाद में जहाँ कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है किसी वाद में और उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, वह वाद :
- (A) मिस ज्वान्डर
(B) नान – ज्वान्डर
(C) दोनो (A)और (B)
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
32. धारा 16 सी0 पी0 सी0 एक अचल सम्पत्ति से सम्बंधित वाद किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत हो सकता है :
- (A) सम्पत्ति जहाँ स्थित हो
(B) प्रतिवादी निवास करता हो अथवा व्यक्तिगत रूप से मुनाफे के लिए के कार्यरत
(C) प्रतिवादी निवास करता हो अथवा अपना व्यापार करता हो
(D) या (A)या (B)या (C)

- | | |
|--|--|
| <p>33. Which 15 of C. P. C. lays down :
 (A) A rule of Procedure
 (B) A rule of jurisdiction
 (C) A rule of evidence
 (D) All the above</p> <p>34. Which of the following is a right of civil nature :
 (A) Right to worship in a Temple
 (B) Right to share in offering in a Temple
 (C) Right to take out procession
 (D) All the above</p> <p>35. A Temporary Injunction can be granted to a party established :
 (A) A prime Facie case in his favour
 (B) Balance of Convenience in his favour
 (C) Irreparable injury if injunction is not granted
 (D) All of above</p> <p>36. If a party commits breach of temporary injunction :
 (A) It would amount to the punishment for contempt of court
 (B) It would be fined
 (C) Its property may be attached
 (D) None of the above</p> | <p>33. धारा 15 सीपीसी क्या उपबंध करती है :
 (A) प्रक्रिया का नियम
 (B) अधिकार क्षेत्र का नियम
 (C) साक्ष्य का नियम
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>34. इनमें से कौन अधिकार व्यवहार (सिविल) प्रकृति का है :
 (A) मंदिर में पूजा का अधिकार
 (B) मंदिर में पूजा प्रस्तुती पर अंश का अधिकार
 (C) जुलूस निकालने का अधिकार
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>35. एक पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि वह साबित करता है :
 (A) अपने पक्ष में प्रथम दृष्टता वाद
 (B) अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन
 (C) निषेधाज्ञा प्राप्त न होने की दशा में अपूरणीय क्षति
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>36. यदि एक पक्षकार अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है :
 (A) वह न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित किया जायेगा
 (B) उसे आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा।
 (C) उसकी सम्पत्ति को कुर्क किया जायेगा
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
|--|--|

37. Where any Injunction is passed without giving notice to opposite party the court will try to decide the application within :

- (A) 7 days
- (B) 15 days
- (C) 21 days
- (D) 30 days

38. which of the following tests are to be applied in case where the plea of bar of Suit under order 2 Rule 2 is raised :

- (A) whether the case of action in the previous suit and that is sub sequent suit are identical:
- (B) Whether the relief claimed in the sub sequent suit could have been given in the previous suit
- (C) Whether the plaintiff committed to sue for a particuton relief on the cause of action which was disclosed in previous suit.
- (D) All of the above

39. Which of the following provision of C. P. C. deals with consequences of disobedience of an injunction granted by court :

- (A) Order 38 rule 1
- (B) Order 39 rule 2
- (C) Order 39 rule 2A
- (D) Order 40 rule 1

37. जहाँ कोई निषेधाज्ञा बिना विपक्षी को नोटिस जारी किए जारी की गई हैं। अदालत कितने दिनों में प्रार्थना पत्र का निस्तारित करने का प्रयास करेगी।

- (A) सात दिन
- (B) पन्द्रह दिन
- (C) इक्कीस दिन
- (D) तीस दिन

38. निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उन मामलों में लागू किया जाना है जहाँ वाद आदेश 2 नियम 2 के तहत वाद के बाधित होने के ऊपर उठाया जाता है।

- (A) क्या पिछले वाद में कार्यवाही का कारण और वाद के बाद का समान हो
- (B) क्या बाद के वाद में चाही गई उपशमन पूर्व के वाद में दी जा सकती थी।
- (C) क्या वादी ने पूर्व में प्रस्तुत वाद में उपशमन माँगने में त्रुटि कर दिया है उसी आधार पर जिसका वाद कारण वर्तमान वाद मे प्रदर्शित है।
- (D) उपरोक्त सभी

39. निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी0 पी0 सी0 में अदालत द्वारा निर्गत निषेधाज्ञा के अवमानना से सम्बंधित है।

- (A) आदेश 38 नियम 1
- (B) आदेश 39 नियम 2
- (C) आदेश 39 नियम 2A
- (D) आदेश 40 नियम 1

40. Upon grant of Ex-parte injunction, the plaintiff has to comply with this provision to order XXXIX, Rule 3 of C. P. C. by filing as affidavit :

- (A) Within seven days from grant I Injunction.
- (B) Within three days from grant of Injunction.
- (C) On the day on which injunction is granted or on the day immediately following that day
- (D) Within fifteen days

41. The Civil court can grant injunction without issuing notice to the defendant.

- (A) In all cases
- (B) Only if the granting of injunction would be defeated by delay and after recording reasons there for
- (C) If the plaintiff offers same security for loss occasioned to the defendant by such Ex-parte order
- (D) In no circumstances

42. Appellant court shall have the powers :-

- (A) To remand a case
- (B) To determine a case finally
- (C) To take additional evidence
- (D) All of the above

40. एक पक्षीय निषेधाज्ञा प्रदान करने पर वादी को निम्नलिखित का पालन करना होता है, एक हलफनामा दाखिल करके सी० पी० सी० के आदेश XXXIX नियम 3 का आदेश देने का प्रावधान :

- (A) निषेधाज्ञा दिए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर
- (B) निषेधाज्ञा दिए जाने की तारीख से तीन दिनों के भीतर
- (C) जिस दिन निषेधाज्ञा दी गई या उस दिन के ठीक बाद वाले दिन
- (D) निषेधाज्ञा दिए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर

41. दीवानी न्यायालय बिना नोटिस जारी किए निषेधाज्ञा दे सकता है :

- (A) सभी मामलों में
- (B) केवल तभी जब निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य विफल होगा देरी के कारण और उसके कारणों को दर्ज करने के बाद
- (C) यदि वादी प्रतिवादी को होने वाली छति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है यदि एक पक्षीय आदेश पारित होता है।
- (D) किसी भी परिस्थिति में नहीं।

42. अपीलीय न्यायालय के शक्तियाँ हैं :-

- (A) एक मुकदमे को रिमांड के
- (B) किसी मामले को अंतिम रूप से निर्धारित करने
- (C) अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने
- (D) उपरोक्त सभी

43. No order for detention of the judgment debtor is civil prison is execution of a decree for the payment of money shall be made, where total amount of decree Not exceed :-
 (A) One thousand
 (B) Two thousand
 (C) Five Thousand
 (D) Ten thousand
44. Among the following properties, which shall not be liable for attachment under the code :-
 (A) Government securities
 (B) Bank Notes
 (C) A mere right to sue for damages
 (D) All of the above
45. Among the following which section deals with the proceeds of execution sale to be sateably distributed among decree holders :
 (A) Section 60
 (B) Section 67
 (C) Section 73
 (D) Section 75
46. Among the following in which section property liable to attachment and sale in execution of decree in provided :-
 (A) Section 60
 (B) Section 62
 (C) Section 63
 (D) Section 65
43. धन के भुगतान के लिए एक डिक्री के निष्पादन में सिविल जेल में निर्णय देनदार को अभिरक्षा में लेने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। जहाँ डिक्री की कुल राशि अधिक नहीं है।
 (A) एक हजार
 (B) दो हजार
 (C) पाँच हजार
 (D) दस हजार
44. निम्नलिखित सम्पत्तियों में से जो संहिता के तहत कुर्क किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी :
 (A) सरकारी प्रतिभूतियाँ
 (B) बैंक नोट
 (C) हर्जे के मुकदमें को किए जाने का एक मात्र अधिकार
 (D) उपरोक्त सभी
45. निम्नलिखित में कौन सी धारा डिक्री धारकों के बीच उचित रूप से वितरित किए जाने वाले निष्पादन की आय से सम्बंधित है :-
 (A) धारा : 60
 (B) धारा : 67
 (C) धारा : 73
 (D) धारा : 75
46. निम्नलिखित में किस धारा में सम्पत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी है और डिक्री के निष्पादन में बिक्री की जा सकती है :-
 (A) धारा 60
 (B) धारा 62
 (C) धारा 63
 (D) धारा 65

47. 'A' residing in Dehradun, beats 'B' in Delhi 'B' May sue 'A' under the code :-
 (A) Delhi
 (B) Dehradun
 (C) Either (A) or (B)
 (D) Only (A) not (B)
48. Inherent Power of the court can be exercised under the code :-
 (A) To help the Plaintiff
 (B) To help the defendant
 (C) For the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court
 (D) To grant interim relief
49. Under the code the provision of notice before instituting a suit against the Government is given in: -
 (A) Section 82
 (B) Section 80
 (C) Section 79
 (D) Section 78
50. Among the following who can not be arrusted during Execution of many decree :-
 (A) Women
 (B) Any Person
 (C) Partner
 (D) None of the above
47. देहरादून में रहने वाला 'A' दिल्ली में 'B' को पीटता है 'B' संहिता के तहत 'A' के खिलाफ मुकदमा कर सकता है।
 (A) दिल्ली में
 (B) देहरादून में
 (C) या तो (A) अथवा (B)
 (D) केवल (A) नहीं (B)
48. संहिता के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है :-
 (A) वादी की सहायता के लिए
 (B) प्रतिवादी की सहायता के लिए
 (C) न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
 (D) अंतरिम राहत देने के लिए।
49. संहिता के तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले नोटिस का प्रावधान किस धारा में दिया गया है।
 (A) धारा 82
 (B) धारा 80
 (C) धारा 79
 (D) धारा 78
50. एक रुपये की आज्ञापत्र के निष्पादन के दौरान इनमें से कौन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है :
 (A) एक स्त्री
 (B) कोई भी व्यक्ति
 (C) साझेदार
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

51. A decree may be executed by :
 (A) Court which passed it
 (B) Court to which sent for Execution
 (C) Appellate Court
 (D) Both (A) and (B) above
52. Cases of Action may be described as :
 (A) Bundle of Essential Fact necessary for the plaintiff to Prove
 (B) An important subject of litigation
 (C) Apoint in question
 (D) Both (A) and (B) above
53. The date of decree is the date on which :
 (A) The date judgment is pronounced.
 (B) The date it is written
 (C) The day it pronounced but not written or signed.
 (D) The day it pronounced and signed by the judge.
54. Maximum Period to pronounce judgment U/O 20 Rule 1 of C. P. C. after completion of heaving.
 (A) Thirty days
 (B) Sixty days
 (C) Fifteen days
 (D) Ninety days
55. A Judgment contains :
 (A) Concise Statement of facts
 (B) the decision on the point of determination and reasons
 (C) Issues
 (D) All the above

51. एक डिक्रीदार द्वारा निष्पादित किया जा सकता है :
 (A) न्यायालय जिसने इसे पारित किया है।
 (B) न्यायालय जिसे निष्पादित करने के लिए भेजा गया
 (C) अपीलिय न्यायालय
 (D) उपरोक्त (A) एवं (B) दोनों
52. कार्यवाही के कारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है :
 (A) वादी को साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों का एक बंडल
 (B) मुकदमें बाजी का एक महत्वपूर्ण विषय
 (C) विचाराधीन एक बिन्दु
 (D) उपरोक्त (A) एवं (B) दोनों
53. डिक्री की तारीख वह है जिस तारीख पर :
 (A) जिस तारीख पर निर्णय की घोषणा हो
 (B) वह तारीख जो लिखी है।
 (C) उद्घोषणा हुई परन्तु न लिखी गई न हस्ताक्षरित हुई
 (D) उद्घोषणा की तिथि व जज द्वारा हस्ताक्षरित
54. आदेश 20 नियम 1 सी0 पी0 सी0 के अनुसार सुनवाई समाप्ति के उपरान्त अधिकतम कितने दिनों में निर्णय देना होता है।
 (A) तीस दिन
 (B) साठ दिन(60)
 (C) पन्द्रह दिन
 (D) नब्बे दिन
55. निर्णय में क्या सम्मिलित होता है।
 (A) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण
 (B) विवादय बिन्दुओं पर निर्णय व आधार
 (C) वाद बिन्दु
 (D) उपरोक्त सभी

56. Which of the order of C. P. C. is related to issue of commission ?
 (A) Order 24
 (B) Order 26
 (C) Order 25
 (D) Order 27
57. A court may issue Commission to :
 (A) Make Local investigation
 (B) Make Partition
 (C) Adjust Accounts
 (D) All of the above
58. What are the conditions for filing suit by an Indigent Person under order 33.
 (A) Not having means to pay court fee
 (B) Not entitled to Property worth Rs. 1000/-
 (C) No sufficient means for his livelihood
 (D) Having the only 5000 /-
59. What does "Pauper Suit" means :
 (A) Suit by third Party
 (B) Suit by Public Servant
 (C) Suit by Indigent person
 (D) Suit by legal Representation
60. A person can act as a 'Next Friend' if he is :
 (A) Major
 (B) Sound Mind
 (C) Not having an adverse interest
 (D) Following all above requirements.
56. सी० पी० सी० का कौन सा निम्नलिखित आदेश कमीशन कार्यवाही से सम्बंधित है।
 (A) आदेश 24
 (B) आदेश 26
 (C) आदेश 25
 (D) आदेश 27
57. न्यायालय कब कमीशन जारी करती है :
 (A) स्थानीय निरीक्षण हेतु
 (B) बटवारे हेतु
 (C) लेखा समाधान हेतु
 (D) उपरोक्त सभी हेतु
58. दरिद्र व्यक्ति द्वारा आदेश 33 के अन्तर्गत किन दशाओं में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
 (A) न्याय शुल्क का भुगतान करने के असमर्थ
 (B) 1000/-रु० से अधिक की सम्पत्ति धारण करने का अधिकारी न हो।
 (C) भरण पोषण हेतु कोई साधन का न होना
 (D) केवल उसके पास रु० 5000/- है।
59. कंगाल/दरिद्र वाद से क्या तात्पर्य है :
 (A) तृतीय पक्ष द्वारा वाद
 (B) लोक सेवक द्वारा वाद
 (C) दरिद्र व्यक्ति द्वारा वाद
 (D) विधिक प्रतिनिधि द्वारा वाद
60. वाद मित्र के रूप में कार्य के लिए कौन सी योग्यता चाहिए :
 (A) वयस्क हो
 (B) स्वस्थ मस्तिष्क का हो
 (C) विपरीत हित न रखता हो
 (D) उपरोक्त सभी को पूरा करता हो

61. A suit through 'Next friend' can be filed by :
- (A) Minor
 - (B) A Lunatic
 - (C) Both (A) & (B)
 - (D) None of the above
62. An compromise on behalf of minor without the leave of the court under order 32 Rule 7 of C. P. C. is :
- (A) Valid
 - (B) Void
 - (C) Voidable against all parties other than minor
 - (D) None of the above
63. Under section 115 C. P. C. the High Court has the power of :
- (A) Revision
 - (B) Review
 - (C) Reference
 - (D) To take additional evidence
64. In which of the following case the appellate court has power to allow additional evidence :
- (A) Trial court refused to admit evidence which right to have admitted
 - (B) The evidence which was not in the knowledge of party despite due diligence
 - (C) Appellate court requires evidence for just judgment
 - (D) All of the above

61. वाद मित्र के माध्यम से कौन वाद प्रस्तुत कर सकता है :
- (A) अवयस्क
 - (B) पागल मनुष्य
 - (C) (A) एवं (B) दोनों
 - (D) उपरोक्त में कोई नहीं
62. अवयस्क की तरफ से बिना न्यायालय की अनुमति अन्तर्गत आदेश 32 नियम 7 सी0 पी0 की गई सन्धि की प्रकृति :
- (A) वैध
 - (B) शून्य
 - (C) अवयस्क के अतिरिक्त सभी पक्षकारों के विरुद्ध अमान्य करणीय
 - (D) उपरोक्त में कोई नहीं
63. धारा 115 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को अधिकार है :
- (A) पुनरीक्षण
 - (B) पुनर्विचार
 - (C) सन्दर्भ
 - (D) अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करना
64. निम्नलिखित किन दशाओं में अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने का अवसर है।
- (A) विचारण न्यायालय ने ऐसी साक्ष्य अस्वीकार की है जो कि स्वीकार योग्य है।
 - (B) ऐसी साक्ष्य जो पक्षकार के संज्ञान व नियंत्रण में पूर्ण प्रयास वाद नहीं थी
 - (C) अपीलीय न्यायालय को उचित निर्णय के लिए आवश्यक।
 - (D) उपरोक्त सभी दशाओं में।

65. An application for Review can be made:
- To the appellate court
 - By an advocate for a party
 - By a session Judge
 - To the court that made the order or passed the decree.
66. A Person can apply for review of judgment when :
- He is aggrieved by a decree/order which an appeal is allowed., but no appeal has been preferred
 - He is aggrieved by a decree/order from which no appeal is allowed.
 - To the court that made the order or passed the decree.
 - All of the above
67. What Remedy is available under section 114 of C. P. C.
- Review
 - Revision
 - Reference
 - None of the above
68. Under section 113 of C. P. C. which court may refer a case to high court.
- District court
 - Civil court
 - Any court
 - Small causes court
65. पुनर्विचार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है :
- अपीलीय न्यायालय को
 - पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा
 - सत्र न्यायाधीश द्वारा
 - उसी न्यायालय को जिसके द्वारा आदेश अथवा आज्ञा पारित की गई है।
66. एक व्यक्ति कब निर्णय के पुनर्विचार हेतु आवेदन कर सकता है :
- जब व्यक्ति आज्ञा/आदेश से व्यथित है और अपील का प्रावधान है परन्तु कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - जब व्यक्ति आज्ञा/आदेश से व्यथित है परन्तु अपील का प्रावधान नहीं है।
 - उस न्यायालय को जिसके द्वारा ऐसी आज्ञा अथवा आदेश पारित किया गया है।
 - उपरोक्त सभी दशा में।
67. धारा 114 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत क्या उपशमन प्राप्त है।
- पुनर्विचार
 - पुनरीक्षण
 - संदर्भ
 - उपरोक्त में कोई नहीं
68. धारा 113 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कौन सी न्यायालय उच्च न्यायालय में सन्दर्भ कर सकती है।
- जिला न्यायालय
 - व्यवहार न्यायालय
 - कोई भी कोर्ट
 - लघुवाद न्यायालय

69. Who may apply for reference U/S 113 of C. P. C. to High Court.
 (A) A Party to Suit
 (B) Court
 (C) High Court itself
 (D) None of above
70. Every Suit by a minor shall be instituted in the name of :
 (A) The minor
 (B) The Guardian of the Minor
 (C) The next Friend of the Minor
 (D) Both (B) and (C)
71. Which order has been specially enacted to Protect the interest of minors and unsound mind :
 (A) Order 31
 (B) Order 32
 (C) Order 33
 (D) Order 34
72. Remedies available against Ex-parte decree includes :
 (A) Appeal
 (B) Review
 (C) Application for setting – a side the decree
 (D) All of the above
73. Which order can be passed if both the parties fail to appear V/S/IX Rule 3.
 (A) Adjournment of case for next date
 (B) Dismissal of Suit
 (C) Imposition of Cast
 (D) Adjournment sine die.

69. उच्च न्यायालय में संदर्भ अन्तर्गत धारा 113 सी0 पी0 सी0 कौन कर सकता है।
 (A) वाद का एक पक्षकार
 (B) न्यायालय
 (C) उच्च न्यायालय स्वयं
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
70. प्रत्येक वाद जो कि अवयस्क द्वारा प्रस्तुत है किसके नाम से प्रस्तुत किया जायेगा।
 (A) अवयस्क
 (B) अवयस्क के संरक्षक
 (C) अवयस्क का वाद मित्र
 (D) दोनों(A)एवं (B)
71. अवयस्क एवं विकृतचित्र के हितों के लिए प्रमुख रूप से आदेश का गठन है व प्रावधान है :
 (A) आदेश 31
 (B) आदेश 32
 (C) आदेश 33
 (D) आदेश 34
72. एक पक्षीय आज्ञाप्ति के विरुद्ध क्या-क्या उपशमन निहित है :
 (A) अपील
 (B) पुनर्विचार
 (C) आज्ञाप्ति को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र
 (D) उपरोक्त सभी
73. दोनों पक्षकारों के अनुपस्थित होने की दशा में न्यायालय आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत कौन सा आदेश पारित करती है।
 (A) अग्रिम तिथि के लिए वाद मुलतवी करना
 (B) वाद को खण्डित करना
 (C) हर्ज को आरोपित करना
 (D) सदैव के लिए सुनवाई मुलतवी करना

74. A Suit against the government shall not be instituted unless notice of _____ months given :

- (A) Four Months
- (B) Six Months
- (C) Two Months
- (D) Nine Months

75. Issues under C. P. C. means :

- (A) Material Proposition of Fact affirmed by Plaintiff and denied by defendant
- (B) Material Proposition of Fact affirmed by defendant and denied by the plaintiff.
- (C) Every Proposition of fact or law affirmed by the Party and denied by the other
- (D) Material Proposition of Fact or Law affirmed by one party and denied by the other

76. Issues in a civil suit are framed :

- (A) When plaint is filed
- (B) After written statement is filed
- (C) After affitavit of evidence is filed
- (D) Before final arguments

77. In a civil Suit, the issue are trained by the :

- (A) Parties
- (B) Advocate of the Parties
- (C) Representatives of the Parties
- (D) Court

74. सरकार के विरुद्ध तब तक वाद प्रस्तुत नहीं हो सकता जब तक माह की नोटिस न दी गई हो।

- (A) चार माह
- (B) छः माह
- (C) दो माह
- (D) नौ माह

75. सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद बिन्दु से तात्पर्य है :

- (A) सारभूत तथ्य का प्रस्ताव वादी द्वारा स्वीकार किया जाना और प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार
- (B) सारभूत तथ्य का प्रस्ताव प्रतिवादी द्वारा स्वीकार एवं वादी द्वारा अस्वीकार
- (C) प्रत्येक तथ्य अथवा विधि का प्रस्ताव एक पक्षकार द्वारा स्वीकार एवं दूसरे द्वारा अस्वीकार किया जाना
- (D) सारभूत तथ्य अथवा विधि के प्रस्ताव का एक पक्षकार द्वारा स्वीकार किया जाना एवं दूसरे द्वारा अस्वीकार किया जाना

76. एक व्यवहार वाद में वाद बिन्दु सृजित होते हैं:

- (A) जब वाद पत्र प्रस्तुत होता है।
- (B) जवाब दावा (लिखित कथन) प्रस्तुत होने के उपरान्त
- (C) साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत होने के बाद
- (D) अन्तिम बहस के पूर्व

77. व्यवहार वाद में, वाद बिन्दु किसके द्वारा सृजित किए जाते हैं :

- (A) पक्षकार
- (B) पक्षकारों के अधिवक्ता
- (C) पक्षकारों के प्रतिनिधि
- (D) न्यायालय

78. Framing of issue in Provided in which Rule of C. P. C.
 (A) Order XV Rule 1
 (B) Order XIV Rule 1
 (C) Order XVI Rule 1
 (D) Order XIII Rule 1
79. In a suit of possession by the landlord against his tenant, a Sub tenant is a :
 (A) Necessary Party
 (B) Proper Party
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
80. A Suit under C. P. C. can be filed by representative capacity :
 (A) Under order 1 Rule 8
 (B) Under order 1 Rule 8 A
 (C) Under order 1 Rule 9
 (D) Under order 1 Rule 10
81. Non-Grinder of necessary party in a suit will lead to -
 (A) Dismissal of Suit
 (B) Stay of Suit
 (C) Continuatum of Suit
 (D) Imposition of Cost.
82. The court :
 (A) Can allow amendment of pleadings at any stage of Proceedings
 (B) A party can amend its pleadings at any stage
 (C) Can not allow amendment of pleadings
 (D) Can allow amendment of written statement only.
78. सी० पी० सी० के किस नियम में वाद बिन्दु सृजन उपबन्धित है।
 (A) आदेश XV नियम 1
 (B) आदेश XIV नियम 1
 (C) आदेश XVI नियम 1
 (D) आदेश XIII नियम 1
79. लैण्डलार्ड द्वारा किराएदार के विरुद्ध कब्जे के वाद में उप किराएदार :
 (A) आवश्यक पक्षकार है
 (B) उचित पक्षकार हैं
 (C) (A) व (B)दोनों है।
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
80. सी० पी० सी० में प्रतिनिधि क्षमता वाद किस प्रावधान में प्रस्तुत किया जा सकता है।
 (A) अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8
 (B) अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 A
 (C) अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9
 (D) अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10
81. आवश्यक पक्षकार का किसी वाद में शामिल न होने का क्या परिणाम होगा।
 (A) वाद का खण्डन
 (B) वाद का स्थगन
 (C) वाद का प्रचारित रहना
 (D) हर्जे का आरोपण।
82. न्यायालय :
 (A) अभिवचनों के संशोधन हेतु कार्यवाही के किसी भी स्तर पर अनुमति दे सकती है।
 (B) पक्षकार किसी भी स्तर पर अभिवचन संशोधित कर सकते हैं।
 (C) अभिवचनों को संशोधित नहीं कर सकती है।
 (D) केवल जवाब दावा को संशोधित करने हेतु अनुमति दे सकती है।

83. Amendment of pleadings is allowed under C. P. C. for the Purpose of :
- (A) Saving the time of the court
 - (B) Saving the time of the Parties
 - (C) Determining Real question of Suit
 - (D) None of the above
84. Which order of C. P. C. lays down general rules governing pleadings in a court ?
- (A) Order 6
 - (B) Order 7
 - (C) Order 8
 - (D) Order 9
85. Under order VI Rule 17 of C. P. C., the court can allow to alter or amend the pleading to :
- (A) Either Party
 - (B) To Plaintiff only
 - (C) To defendant only
 - (D) Court Master
86. The Court Permit amendment of pleading under :
- (A) Order VI Rule 14
 - (B) Order VI Rule 15
 - (C) Order VI Rule 16
 - (D) Order VI Rule 17
87. Pleadings must be signed :
- (A) By the party only
 - (B) By the Pleader only
 - (C) By the Pleader and Party both
 - (D) By the Pleader and Successor of the Pleader
83. सी० पी० सी० के अन्तर्गत अभिवचनों के संशोधन का क्या उद्देश्य है :
- (A) न्यायालय का समय बचाने हेतु
 - (B) पक्षकारों का समय बचाने हेतु
 - (C) वाद के वास्तविक प्रश्नों को अवधारित करने हेतु
 - (D) उपरोक्त में कोई नहीं
84. न्यायालय में अभिवचनों के सामान्य सिद्धान्त को नियन्त्रित करने हेतु सी० पी० सी० के किस आदेश में प्रावधान है :
- (A) आदेश 6
 - (B) आदेश 7
 - (C) आदेश 8
 - (D) आदेश 9
85. आदेश VI नियम 17 के अन्तर्गत न्यायालय अभिवचन को संशोधित व परिवर्तन करने हेतु अनुमति देती है :
- (A) किसी भी पक्षकार को
 - (B) केवल वादी को
 - (C) केवल प्रतिवादी को
 - (D) कोर्ट मास्टर को
86. न्यायालय पक्षकारों को अभिवचन संशोधन किस प्रावधान में स्वीकृत करती है।
- (A) आदेश VI नियम 14
 - (B) आदेश VI नियम 15
 - (C) आदेश VI नियम 16
 - (D) आदेश VI नियम 17
87. अभिवचन किसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये :
- (A) पक्षकार द्वारा केवल
 - (B) केवल प्लीडर द्वारा
 - (C) प्लीडर एवं पक्षकार दोनों
 - (D) प्लीडर एवं प्लीडर के उत्तराधिकारी

88. Pleading should State :
 (A) Material Facts
 (B) The Law
 (C) The Evidence
 (D) Any Facts
89. Pleading is defined in :
 (A) Order VI Rule 1 of C. P.C.
 (B) Order VI Rule 2 of C. P.C.
 (C) Order VIII Rule 1 of C. P.C.
 (D) Order VIII Rule 2 of C. P.C.
90. In a suit where the doctrine of us – judicata applies.
 (A) The suit is liable to be dismissed.
 (B) The suit is liable to be stayed.
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
91. The Rule of Sub judice Implies :
 (A) Where the same subject matter is pending in a court of Law for adjudication between the same parties, the other court can not proceed.
 (B) Where the same subject matter is pending in a court of Law for adjudication between the same parties, the other court is free to proceed.
 (C) Where the same subject matter is pending in a court of Law for adjudication in Indian court and foreign court.
 (D) None of the above
88. अभिवचन में क्या उल्लिखित है :
 (A) सारभूत तथ्य
 (B) विधि
 (C) साक्ष्य
 (D) कोई भी तथ्य
89. अभिवचन परिभाषित हैं :
 (A) आदेश VI नियम 1 सी० पी० सी०
 (B) आदेश VI नियम 2 सी० पी० सी०
 (C) आदेश VIII नियम 1 सी० पी० सी०
 (D) आदेश VIII नियम 2 सी० पी० सी०
90. जहाँ पर किसी वाद में पूर्व-न्याय का सिद्धान्त लागू होता है वहाँ पर क्या परिणाम होता है।
 (A) वाद खण्डित होने योग्य है।
 (B) वाद स्थगित होने योग्य है।
 (C) उपरोक्त (A) एवं (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
91. 'विचाराधीन' का नियम निम्न में किस पर लागू होता है :
 (A) अन्य न्यायालय अग्रिम कार्यवाही नहीं कर सकती जो किसी न्यायालय में समान पक्षकारों के मध्य समान विषय अवधारित करने हेतु वाद लम्बित है।
 (B) अन्य न्यायालय अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है यदि किसी न्यायालय में समान पक्षकारों के मध्य समान विषय अवधारित करने हेतु वाद लम्बित है।
 (C) यदि भारतीय न्यायालय एवं विदेशी न्यायालय में समान पक्षकारों के मध्य समान विषय अवधारित करने हेतु वाद लम्बित है।
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं

92. Section 10 of C. P. C. is related to:
- Res Judicata
 - Res Sub Judice
 - Stay of Suit
 - None of the above
93. Section 10 of the C.P.C. does not apply when the previous suit is pending.
- In the same Court
 - In a Foreign Court
 - In the Court outside India established by the central Government
 - In any other court in India.
94. The principal of 'Constructive us-judicata' has been provided under which section of code of civil Procedure.
- Section 11, Explanation I
 - Section 11, Explanation VI
 - Section 11, Explanation VIII
 - Section 11, Explanation IV
95. Which is not a 'Decree'
- Rejection of a Plaint
 - Order of dismissal for default
 - Determination of any question under section 144
 - Adjudication that determine the rights of the Parties in a suit.
92. धारा 10 सी० पी० सी० इनमें से किस से सम्बंधित है :
- पूर्व न्याय
 - लम्बित वाद
 - वाद का स्थगन
 - उपरोक्त में कोई नहीं
93. पूर्व वाद के कहां लम्बित होते धारा 10 व्यवहार संहिता लागू नहीं होती।
- समान न्यायालय में
 - एक विदेशी न्यायालय में
 - भारत के बाहर स्थित न्यायालय जिसे केन्द्र सरकार ने स्थापित किया हो
 - भारत स्थित किसी अन्य न्यायालय में।
94. 'आन्वयिक पूर्व-न्याय' के सिद्धान्त को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लिखित किया गया है :-
- धारा 11 स्पष्टीकरण I
 - धारा 11 स्पष्टीकरण VI
 - धारा 11 स्पष्टीकरण VIII
 - धारा 11 स्पष्टीकरण IV
95. इनमें से कौन आज्ञाप्ति नहीं है।
- वाद पत्र का निरस्तीकरण
 - त्रुटि/अनुपस्थित पर पारित आदेश
 - किसी बिन्दु का धारा 144 में अवधारित होना
 - ऐसा अभिनिर्णय जो कि वाद के पक्षकारों के अधिकारों को निर्णीत करता हो।

96. 'Mesne Profit' of property means:-
 (A) Those Profit by which the person in wrongful possession of such property actually received with Interest on such profit.
 (B) The Profit due to improvements by the person is wrongful possession.
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
97. 'Order' is defined as a formal Expression of any decision of a civil court which is not a decree in:-
 (A) Section 2 (1) of C. P. C.
 (B) Section 2 (14) of C. P. C.
 (C) Section 2 (9) of C. P. C.
 (D) Section 2 (16) of C. P. C.
98. Decree Means :-
 (A) An order adjudicating claims
 (B) Informal Expression of an adjudication
 (C) Formal Expression of an adjudication
 (D) None of the above
99. The term "Mesne profit" Has been defined under section of the Code of Civil Procedure:-
 (A) Section 2 (13)
 (B) Section 2 (14)
 (C) Section 2 (18)
 (D) Section 2 (12)
100. Under the Code of Civil procedure an Ex-parte decree can be set aside under :-
 (A) Order 9 Rule 5
 (B) Order 9 Rule 12
 (C) Order 9 Rule 13
 (D) Order 9 Rule 10

96. सम्पत्ति के मध्यवर्ती लाभ से क्या तात्पर्य है :-
 (A) वे लाभ सहपठित ब्याज जो कि उस व्यक्ति द्वारा उस सम्पत्ति पर प्राप्त करता है जो कि उसके अनाधिकृत कब्जे में है।
 (B) वह लाभ जो कि उच्चीकरण से उस व्यक्ति को प्राप्त है - कि अनाधिकृत कब्जे में है।
 (C) उपरोक्त (A) एवं (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
97. व्यवहार न्यायालय के आदेश को औपचारिक अभिव्यक्ति परन्तु वह आज्ञाप्ति नहीं है किस प्रावधान में परिभाषित है :-
 (A) धारा 2 (1) सी० पी० सी०
 (B) धारा 2 (14) सी० पी० सी०
 (C) धारा 2 (9) सी० पी० सी०
 (D) धारा 2 (16) सी० पी० सी०
98. आज्ञाप्ति का तात्पर्य है :-
 (A) दावों को तय करने का आदेश
 (B) अनौपचारिक, एक आदेश की अभिवृत्ति
 (C) एक अभिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
99. "मध्यवर्ती लाभ" शब्द की परिभाषा व्यवहार प्रक्रिया के किस प्रावधान में दी गई है।
 (A) धारा 2 (13)
 (B) धारा 2 (14)
 (C) धारा 2 (18)
 (D) धारा 2 (12)
100. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक, एक पक्षीय आज्ञाप्ति निरस्त की जा सकती है :-
 (A) आदेश 9 नियम 5
 (B) आदेश 9 नियम 12
 (C) आदेश 9 नियम 13
 (D) आदेश 9 नियम 10

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.